

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 129 / 2019

तारीख रजु 30.07.2019

उनवान

साहब सिंह पुत्र जल्लीराम जाति जोगी निवासी ढिंढोरा तहसील हिण्डौन जिला करौली।

-----वादी

बनाम

विजयसिंह उर्फ नवलसिंह पुत्र जल्लीराम वगैरहा निवासी ढिंढोरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

-----प्रतिवादी (03)

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :- श्री गोविंद प्रसाद गुप्ता एडवोकेट।

प्रतिवादीगण की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक 03.12.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन सिटी की भूमि खसरनं 2687, 2682, 4352/2429 की दावा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया। इसी दौरान वादीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण दावा नहीं चलाना चाहते हैं। दावा नोट प्रेस में खारिज चाहा है।

अतः वादीगण का दावा मुकदमा नंबर 129/2019 साहब सिंह बनाम विजय सिंह उर्फ नवल सिंह बगै0 नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 3.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी

